

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी--श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 66/20 ता० रजु 6-1-20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 1-2-20

सरकार

बनाम

भूषण पुत्र वीरा धाकड़ वृम्हवाट तह० बयाना जिला-भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का वृम्हवाट ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम वृम्हवाट के खसरा न० 28/1 रकबा 0.80 हैक्ट में से रकबा 0.16 हैक्ट किस्म भूमि धाकड़ग्राह पर सम्वत 2076 में श्री भूषण पुत्र वीरा धाकड़ वृम्हवाट तह० बयाना ने सरसो कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल भिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 28/1 रकबा 0.16 हैक्ट वाके ग्राम वृम्हवाट से बेदखल किया जाता है। लगान 2.56 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 128/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 1-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का तहसीलदार  
क. जे. सं. 04 के पास 15  
दिनांक 5/2/20 को 2019-20  
नियम नं. 128/- कायम नोलीनी  
को जो पेश है।  
V  
तहसीलदार  
बयाना

तहसीलदार  
बयाना (भरतपुर)

